प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-20258/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.06.2024) दिनांक-08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, सी-9/1, लाल कॉलोनी, निराला नगर, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सायं काल लगभग 07:15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल0डी0अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रि0 केस संख्या-1/95 में भा0द0वि0 की धारा-120बी/302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय डेजिगनेटेड कोर्ट अण्डर टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2024 तक 28 वर्ष, 10 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है जनहित में नहीं का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी क्रिमिनल प्रवृत्ति का है जनहित में समयपूर्व रिहाई उचित प्रतीत नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सायं काल लगभग 07:15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल0डी0अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के रिहा होने पर पुनः अपराध की सम्भावना होने का अंकन निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू शिव गोपाल सिंह (बंदी संख्या-45039) पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-253/2024/1127(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-6748/2024 ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-253/2024/1127/22-2-2024-17(269)/2016

दिनांक 06 नवम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव, सी-9/1, लाल कॉलोनी, निराला नगर, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सायं काल लगभग 07:15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल0डी0अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रि0 केस संख्या-1/95 में भा0द0वि0 की धारा-120बी/302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय डेजिगनेटेड कोर्ट अण्डर टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2011 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.03.2024 तक 28 वर्ष, 10 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है जनहित में नहीं का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी क्रिमिनल प्रवृत्ति का है जनहित में समयपूर्व रिहाई उचित प्रतीत नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व की संस्तुति नहीं की गयी है

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 24.03.1993 को सायं काल लगभग 07:15 बजे 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर श्री एल0डी0अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के रिहा होने पर पुनः अपराध की सम्भावना होने का अंकन निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमप्रकाश उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वनाथ श्रीवास्तव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।